न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/21 दायरा दिनांक 24.08.2021

सुन्दरा उर्फ सुन्द्रा पुत्र फूस्या उम्र 72 वर्ष जाति सहरिया निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – अपीलान्ट

बनाम

1. काडू पुत्र धन्ना उम्र 40 वर्ष जाति सहरिया निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां
2. मिसरोबाई पत्नि धन्ना जाति सहरिया निवासी खिरिया तह. शाहाबाद जिला बारां राज. –फौत
3. नाथ्या पुत्र अमरया उम्र उम्र 45 वर्ष जाति सहरिया निवासी खिरिया तह. शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. गज्जा पुत्र अमरया उम्र उम्र 40 वर्ष जाति सहरिया निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. सुखिया पुत्री अमरया पत्नि बदरया उम्र 48 वर्ष जाति सहरिया निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां
6. गुड्डी पुत्री अमरया पत्नि मिश्री उम्र उम्र 42 वर्ष जाति सहरिया निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल अमरोली तहसील किषनगंज जिला बारां राजस्थान
7. ग्यारसी पत्नि अमरया जाति सहरिया निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान –फौत
8. सरपंच ग्राम पंचायत बाल्दा पंचायत समिती व तहसील शाहाबाद जिला बारां
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– **रेस्पो.**

अपील विरूद्ध फौती नामान्तरण नम्बर 708 ग्राम चन्दनहेडा पटवार हल्का बाल्दा तहसील शाहाबाद दिनांक 20.10.2014 अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय–दिनांक 12.06.2024

उपस्थित– अपीलाण्ट की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
रेस्पो. कम 6 की ओर से – श्री पंकज शर्मा एडवोकेट
रेस्पो. कम 1,3,4,5,8 की ओर से – एकपक्षीय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चन्दनहेडा पटवार हल्का बाल्दा तहसील शाहावाद में आराजी ख.सं. 353/255 श.न. 124 रकवा 10.11 बीघा स्थित है, जो अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के सगे भाई धन्ना के नाम संयुक्त रूप से हिस्सा 2/3 तथा रेस्पो. कम 3 लगायत 7 के नाम हिस्सा 1/3 से खाते दर्ज रही है। अपीलान्ट के सगे भाई खातेदार धन्ना की मृत्यु उपरान्त प्रश्नगत नामान्तरण के जरिये मृतक धन्ना की विरासत रेस्पो. कम 1,2 के नाम सर्वथा

12/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

गलत तौर पर बिना किसी जांच व तहकीकात के दर्ज की गई है, जो अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरण मृतक खातेदार धन्ना का रेस्पो. कम 1 काडू को पुत्र तथा रेस्पो. कम 2 मिसरो को पत्नि बतलाते हुये दर्ज किया गया है, जबकि रेस्पो. कम 1 व 2 खातेदार धन्ना के पुत्र व पत्नि ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि खातेदार धन्ना की पत्नि का नाम आनंदी था, जो भंवरा सहरिया निवासी गणेशपुरा तहसील शाहावाद की पुत्री थी। धन्ना तथा आनंदी से कोई संतान पैदा नहीं हुई है, रेस्पो. कम 1 व 2 तलावडा तहसील किशनगंज निवासी देवीलाल सहरिया के पुत्र व पत्नि हैं, जिनका खातेदार धन्ना से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है। इसके बावजूद कोई तहकीकात अथवा जांच किये बिना अपीलाण्ट के भाई धन्ना की विरासत देवीलाल सहरिया के वारिसान पत्नि व पुत्र रेस्पो. कम 1 व 2 के नाम सर्वथा गलत तौर पर फर्जी तरीके से कानून व नियम विरूद्व दर्ज की गई है। अपीलाण्ट मृत खातेदार धन्ना का सगा भाई होकर जैर अपील आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज है, जो मृत धन्ना का एकमात्र वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी है, जिसके नाम ही मृतक धन्ना की विरासत दर्ज की जानी चाहिये थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक करने के पूर्व कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी, और बाला बाला प्रश्नगत नामान्तरण कानून एवं नियम विरूद्व रेस्पो. कम 1 व 2 के हक में तस्दीक कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो. कम 3 लगायत 7 जैर अपील आराजी में सहखातेदार दर्ज हैं, जिन्हे अपील में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरूद्व अपीलाण्ट कोई अनुतोष नहीं चाहता है। रेस्पो. कम 2 मिसरो की मृत्यु हो चुकी है, जिसका विधिक वारिस रेस्पो. कम 1 है तथा रेस्पो. कम 7 ग्यारसी भी फौत हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान रेस्पो. कम 3 लगायत 6 हैं, जिनके विरूद्व अपील पेश है। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 708 दिनांक 20.10.2014 ग्राम चन्दनहेडा तहसील शाहाबाद को निरस्त फरमाया जावे तथा विवादित आराजी खसरा संख्या 253/255 श. न. 124 रकबा 10.11 बीघा ग्राम चन्दनहेडा पटवार क्षेत्र बाल्दा तहसील शाहावाद हिस्सा 1/3 पर मृतक खातेदार धन्ना पुत्र फूस्या सहरिया के स्थान पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने बाबत् रेस्पोडेन्ट कम 9 को आदेशित फरमाये जाने कृपा की करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. कम 1,3,4,5,8 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण नंबर 708 ग्राम चन्दनहेडा ग्राम पंचायत बाल्दा दिनांक 20.10.2014 को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होने ग्राम चन्दनहेडा तहसील शाहावाद स्थित आराजी ख.सं.

12/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

CamScanner

353/255 श.न. 124 रकवा 10.11 बीघा के ततकालीन खातेदार धन्ना पुत्र फूस्या सहरिया निवासी खिरिया के स्थान पर रेस्पो. क्रम 1,2 के नाम रेस्पो. क्रम 1 काडू को पुत्र तथा रेस्पो. क्रम 2 मिसरो को पत्नि बतलाते हुये दर्ज किया गया है, जबकि रेस्पो. क्रम 1 व 2 खातेदार धन्ना के पुत्र व पत्नि ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि खातेदार धन्ना की पत्नि का नाम आनंदी था, जो भंवरा सहरिया निवासी गणेशपुरा तहसील शाहावाद की पुत्री थी, धन्ना तथा आनंदी से कोई संतान पैदा नहीं हुई है, रेस्पो. क्रम 1 व 2 तलावडा तहसील किशनगंज निवासी देवीलाल सहरिया के पुत्र व पत्नि हैं, जिनका खातेदार धन्ना से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है, इसके बावजूद कोई तहकीकात अथवा जांच किये बिना अपीलाण्ट के भाई धन्ना की विरासत देवीलाल सहरिया के वारिसान पत्नि व पुत्र रेस्पो. क्रम 1 व 2 के नाम सर्वथा गलत तौर पर फर्जी तरीके से कानून व नियम विरूद्व दर्ज की गई है, जबकि अपीलाण्ट मृत खातेदार धन्ना का सगा भाई होकर जैर अपील आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज है, जो मृत धन्ना का एकमात्र वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी है, जिसके नाम ही मृतक धन्ना की विरासत दर्ज की जानी चाहिये थी। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट पटवार मण्डल बाल्दा अनुसार मिसरोबाई को खातेदार धन्नालाल की दूसरी पत्नि तथा काडू को जायज वारिस नहीं होना बताया गया है, वास्तव में धन्ना के वैध वारिस कौन हैं यह जांच का विषय है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 708 ग्राम चन्दनहेडा तहसील शाहावाद दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार धन्ना पुत्र फूस्या सहरिया निवासी खिरिया के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें, जिसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/06/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद